

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 16/विविध/2019 दिनांक 15-11-2019 के अनुसार दिनांक 25-12-2019 से 31-12-2019 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है तथा उक्त अवकाश अवधि में विशिष्ट न्यायालयों को शीतकालीन अवकाश की अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य हेतु बैठने के आदेश दिये गये हैं।

अतः उक्त आदेश की पालना में दिनांक 26-12-2019 व 27-12-2019 को यह न्यायालय आवश्यक कार्य हेतु खुला रहेगा। कार्यालय के सभी कर्मचारीगण सूचित हों तथा अपनी-अपनी उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित करें।

सही/-

विशिष्ट न्यायाधीश


लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012  
एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग, 2005  
बालोतरा।

क्रमांक- 768

दिनांक- 2-12-2019

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 2- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा।
- 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर।
- 4- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, बालोतरा।
- 5- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा/सिवाना/पचपदरा
- 6- जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों को इस आदेश से अवगत करावें।
- 7- अध्यक्ष अभिभाषक संघ, बालोतरा।
- ✓ 8- सूचना पट्ट जिला न्यायालय, बालोतरा/न्यायालय हाजा।
- ✓ 9- सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त आदेश की प्रति जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा की वेबसाईट पर अपलोड करें।



विशिष्ट न्यायाधीश

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012  
एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग, 2005  
बालोतरा।